भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

सी.एस.यू. एवं एफ.पी., जगदीशपुर,
जिला – अमेठी, (उ.प्र.)

टेंडर नं. सी.एस.यू.एवं एफ.पी. / मा.सं. / रो.व. / 15–17 / दिनांक : 24.09.2015

निविदा सूचना

भेल, सी.एस.यू. एवं एफ.पी., जगदीशपुर इकाई के रोगियों को लखनऊ के पैनल अस्पतालों में ले जाने के लिए 1 रोगी वाहन (Ambulance – Model Maruti Eeco A/C) की आवश्यकता है।

उपरोक्त वाहन को प्रति किमी. दर पर अनुबंधित किए जाने का प्रावधान है। उपरोक्त के लिए टेक्निकल व प्राइज बिड अलग – अलग जमा करनी होगी।

रोगी वाहन के लिए निविदा प्रारूप टेन्डर फार्म हमारी वेबसाइट www.bhel.com से डाउनलोड किए जा सकते हैं या वरि. अधिकारी (मानव संसाधन) से प्राप्त किए जा सकते हैं । सभी अभ्यर्थियों को टेंडर फार्म निविदा दो बिड के रूप में अलग–अलग लिफाफे मे बंद तथा सील करके लिफाफे के ऊपर उपरोक्त टेंडर सं. एवं "Technical Bid" or "Price Bid" लिखकर, इन दोनों बिड को एक लिफाफे में बंद कर जिसके ऊपर उपरोक्त टेंडर सं. एवं due date लिखा हो, एफ.पी. प्रशासनिक भवन में रखे टेंडर बाक्स में 2.30 बजे तक डालना अनिवार्य है। लिफाफे के ऊपर वाहन मालिक का नाम प्रेषक के रूप में लिखा होना अनिवार्य है, टेंडर फार्म दिनांक 07.10.2015 को अपरान्ह 2.30 बजे तक टेंडर बाक्स में डाल सकते हैं, इसके बाद टेंडर फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों को निम्न शर्तों को स्वीकार करना होगा :

1. केवल वाहन मालिको द्वारा टेंडर फार्म भरा जाएगा। इस निविदा मे वाहन मालिक का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जो निविदा धारक होगा उसी के नाम पर भेल में अनुबंधित वाहन का पंजीकरण होना चाहिए।
2. वाहन मालिक के पत्र व्यवहार का पता स्थायी पते का प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान व सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ टेंडर /निविदा के साथ संलग्न होना चाहिए।
3. रोगी वाहन के लिए ड्राइवरों की उपलब्धता 24 घंटे (12 – 12 घंटों के लिए अलग – अलग ड्राइवर) सुनिश्चित करना होगा।
4. वाहन का मॉडल 2015 शोरूम कन्डीशन का होना चाहिए। गाड़ी का माइलेज इसके साथ ही कम्प्रेहिन्सिव बीमा, सवारी और ड्राइवर सहित, परिवहन कार्यालय से वाहन को टैक्सी परमिट समस्त उत्तर प्रदेश, रोड टैक्स, यात्रीकर टेप/ सीडी प्लेयर आदि समस्त कागज की फोटो कापी मालिक द्वारा स्वयं प्रमाणित कर जमा करनी होगी। अनुबंध अवधि के दौरान सेवा कर को छोड़कर अन्य कोई प्रभार (जैसे परमिट रोड़ कर, बीमा इत्यादि) कम्पनी द्वारा देय नहीं होगा।
5. उपरोक्त निविदा की अवधि 2 वर्ष की होगी जो कि कम्पनी की आवश्यकतानुसार इसे 1 वर्ष के लिए आपसी सहमति पर बढ़ाई भी जा सकती है।
6. जिस पार्टी के पक्ष में टेंडर फाइनल किया जायेगा उसे जो धरोहर राशि टेंडर फार्म में अंकित है, जमा करनी होगी।
7. सभी प्रकार सरकारी एवं वैधानिक आवश्यताएं पूरा करने का दायित्व पूर्ण रूपेण वाहन मालिक की होगी। भेल किसी भी प्रकार से इस संदर्भ में जिम्मेवार नहीं होगी।
8. कम्पनी बिना कारण बताए 1 महीने की नोटिस देकर संविदा रद्द कर सकती है।

9. वाहन चालक के पास व्यवसायिक लाइसेंस तथा कम से कम 5 वर्ष का वाहन चलाने का अनुभव होना अनिवार्य है और लाइसेंस की तिथि अग्रिम तिथि से वैध होना अनिवार्य है। जिसकी फोटो कापी ड्राइवर द्वारा प्रमाणित करवा कर टेक्निकल बिड के साथ संलग्न करके जमा करना होगा।
10. वाहन का संचालन होने पर उसमें आने वाले समस्त खर्चे का वहन जैसे ईंधन खर्च मरम्मत ड्राइवर का वेतन इसके अतिरिक्त अन्य टूल बाक्स आदि सभी की व्यवस्था स्वयं वाहन मालिक को करनी होगी।
11. वाहन के रख रखाव तथा मरम्मत हेतु प्रतिमाह एक दिन का अवकाश कार्यादेश देने के दिनांक के दूसरे माह से कम्पनी की सुविधा के अनुसार देय होगा। इसके अतिरिक्त अवकाश पूर्ण अनुमति के आधार पर ही देय होगा।
12. 24 घंटे वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। वाहन खराब होने या मरम्मत के लिए दिए गये 01 दिन के अवकाश के उपरान्त या तो मालिक को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी अन्यथा 200 किमी प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान राशि मालिक के बिल से काट ली जायेगी।
13. सभी इच्छुक पार्टियों वाहन धारकों को ईएमडी राशि रू. 5,000/– (पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कि बीएचईएल जगदीशपुर के पक्ष के भारतीय स्टेट बैंक, शाखा–आई.जी.एफ.सी.सी.एल जगदीशपुर का देय टेंडर फार्म **"Technical bid"** के साथ जमा करना होगा। इसके अभाव में आपके टेंडर / निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
14. वाहन का समय–समय पर निरीक्षण मानव संसाधन (परिवहन) विभाग द्वारा किया जाएगा किसी भी प्रकार की कमी पाई जाने पर उसे त्वरित रूप से सही कराना होगा।
15. समस्त निविदाएं दिनांक 07.10.2015 को समय अपरान्ह 03.00 बजे भेल द्वारा मनोनीत समिति के द्वारा खोली जाएगी। सभी निविदा धारक उक्त समय पर उपस्थित होकर टेंडर खोलने की प्रक्रिया को देखने के लिए स्वतंत्र हैं। अंतिम निर्णय के विषय में संबंधित पार्टियों को अलग से सूचित किया जाएगा, बिना कारण बताए टेंडर निरस्त करने का कम्पनी को पूर्ण अधिकार होगा। टेक्निकल बिड के समस्त शर्तों को पूर्ण करने वाले पार्टियों की ही प्राइस बिड खोली जायेगी। इसकी तिथि संबंधित पार्टियों को अलग से सूचित किया जाएगा।
16. केवल उपरोक्त शर्तों को पूर्ण करने वाले वाहनस्वामी ही निविदाएं भरें। इसके साथ टेंडर फार्म में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाने पर आपका टेंडर निरस्त किया जा सकता है। समस्त मामलों में कम्पनी का निर्णय अंतिम होगा। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिवाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

सी.एस.यू. एवं एफ.पी., जगदीशपुर,
जिला – अमेठी, (उ.प्र.)

17. ईंधन के दाम में परिवर्तन (घटने या बढ़ने) की स्थिति में मूल्य परिवर्तन धारा (Price Variation Clause) PVC निम्न फार्मूले द्वारा प्रति किमी. की दर में परिवर्तन किया जाएगा। यह परिवर्तन निम्न फार्मूले के आधार पर किया जाएगा।

$$\text{दाम वरिवर्तन दर (रू प्रति किमी)} = \frac{\text{परिवर्तित मूल्य /लीटर – आधार मूल्य/लीटर}}{\text{वाहन एवरेज 12 (किमी / लीटर)}}$$

आधार मूल्य इस निविदा हेतु मेसर्स इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के लखनऊ मंडल का निविदा खोलने की दिनांक का लिया जाएगा।
वाहनों का माइलेज (एवरेज / लीटर) : 12 कि.मी. / लीटर माना जाएगा

किसी भी समय लागू दर निम्नवत होगी

परिवर्तित मूल्य (लागू रेट) = उद्धृत मूल्य (Quoted Rate) + दाम परिवर्तन दर

18. दर परिवर्तन की तारीख से वास्तविक वाचन के आधार पर मूल्य परिवर्तन धारा (Price Variation Clause) PVC लागू होगी।
19. निविदा की वैधता 60 दिनों के लिए निविदा खोलने की तिथि से होगी।
20. वाहन के दुर्घटना होने की स्थिति में दुर्घटना संबंधी सभी औपचारिकताओं का दायित्व पार्टी पर होगा।
21. वाहन मालिकों को हमेशा गाड़ी के सभी टायर सदैव ही अच्छे कन्डीशन में रखने होगे।
22. वाहनों को कम से कम 2500 कि.मी. प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। यदि गाड़ी 2500 कि.मी. से कम चलती है तो शेष कि.मी. का ईंधन खर्च मानक दर के आधार पर काटकर भुगतान किया जाएगा।
23. विवाद की स्थिति में (Jurisdiction) (as per General terms & conditions of BHEL).

/09/15

वरि. अधिकारी (मानव संसाधन)

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
सी.एस.यू. एवं एफ.पी., जगदीशपुर,
जिला – अमेठी, (उ.प्र.)

25

फार्म कमांक 01

टेंडर नं. सी.एस.यू.एफ.पी. / मा.सं. / रो.व. / दिनांक : 24.09.2015

टेंडर फार्म (टेक्निकल बिड)

सी.एस.यू. एवं एफ.पी. के लिए किराये पर 01 रोगी वाहन (Ambulance – Model Maruti Eeco A/C)

वाहन का विवरण :

क) वाहन का प्रकार : रोगी वाहन (Ambulance)
ख) कम्पनी एवं मॉडल : मारूति ईको वातानुकूलित
ग) वाहन का रंग : सफेद
घ) नयी जो कि अक्टूबर'15 के पहले की न हो :
ड.) नयी शोरूम कण्डीशन :
च) पूरे उ.प्र. का रोगी वाहन परमिट :
छ) पैन नं.
ज) सर्विस टैक्स रजि. नं.
झ) भुगतान शर्त : भुगतान ई.एफ.टी. द्वारा बिल प्राप्त होने के बाद 15 दिनों में कर दिया जायेगा।
ञ) सिक्यूरिटी डिपाजिट – टेंडर के फाइनल हो जाने पर 50% जो कि रूपये 10,000/– होती है एल.ओ.आई. / कार्यादेश के साथ जमा करनी होगी एवं बाकी बची 50% रूपये 10,000/– चालू बिलों की कुल मूल्य के 10% मूल्य के हिसाब से जब तक पूरी नहीं हो जाती काटी जायेगी।
त) एम्बुलेंस में 24 घंटे ड्राइवर की उपलब्धता

नोट :

1. रोगी वाहन 24 घंटे कारखाना परिसर में रहेगा जिसका पूरे उ.प्र. रोगी वाहन परमिट आवश्यक है।
2. वाहन चालक के पास व्यावसायिक लाइसेंस (Commercial Licence) होना आवश्यक है।
3. रोगी वाहन नयी शोरूम कण्डीशन में होना आवश्यक है।
4. रोगी वाहन निश्चित तिथि से 1 माह के अंदर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक है।
5. सेवा प्रदाता द्वारा ईंधन की सुनिश्चितता करना आवश्यक है।
6. निविदा सूचना में दर्शायी गयी नियम एवं शर्तें सभी मामलों में लागू होगीं।
7. वास्तविकता के आधार पर सेवा कर (Service Tax) की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) की जायेगी।

उपरोक्त दर्शायी गयी सभी नियम एवं शर्तें मुझे स्वीकार है।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

पता

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
सी.एस.यू. एवं एफ.पी., जगदीशपुर,
जिला – अमेठी, (उ.प्र.)

24

फार्म कमांक. 02

टेंडर नं. सी.एस.यू.एफ.पी. / मा.सं. / रो.वा. / दिनांक :

टेंडर फार्म (प्राइस बिड)

सी.एस.यू. एवं एफ.पी. के लिए किराये पर 01 रोगी वाहन (मारूति इको वातानुकूलित)

दरों को विवरण :

2500किमी. तक मीटर रीडिंग प्रति माह (रू प्रति किमी)	25000 किमी. से ऊपर मीटर रीडिंग प्रति माह (रू प्रति किमी)

नोट :

1. भुगतान वास्तविक मीटर रीडिंग के अनुसार किया जायेगा।
2. भुगतान राशि में ड्राइवरों का वेतन शामिल होगा ।
3. उदाहरण : यदि रोगी वाहन 2600 कि.मी. से चलता है तो उस स्थिति में दर 2500 कि.मी. का + 2500 से अधिक 100 कि.मी. का भुगतान किया जायेगा।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

नाम

पता